न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 108/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मंगलाराम पुत्र श्री गोकलराम 2. वागाराम पुत्र श्री गोकलराम समस्त जातियान पटेल, निवासीगण डेलुम्बा नाडा के पीछे, झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. ओमाराम पुत्र श्री खंगारराम 2. चौथाराम पुत्र श्री खंगारराम 3. धन्नाराम पुत्र श्री खंगारराम 4. तीजादेवी पत्नी श्री खंगारराम के कायम मुकाम 4/1 धन्नाराम पुत्र श्री खंगारराम 4/2 चौथाराम पुत्र श्री खंगारराम 4/3 ओमाराम पुत्र श्री खंगारराम समस्त जातियान –पटेल, निवासी गोलिया एरिया, झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर 4/4 श्रीमति मथुरा पुत्री श्री खंगारराम पत्नि खीमाराम जाति–पटेल,निवासी पटेला वास झंवर तहसील लूणी, जोधपुर। 4/5 श्रीमति कमला पुत्री श्री खंगारराम पत्नी हडमानराम जाति –पटेल, निवासी बडला नगर झंवर तहसील लूणी जोधपुर 4/6 श्रीमति सुखी पुत्री खंगारराम पत्नी मोहनराम जाति –पटेल, निवासी थुम्बली की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 4/7 श्रीमति सीता पुत्री खंगारराम पत्नी नारायणराम जाति –पटेल, निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 5. ओमप्रकाश पुत्र श्री बगाराम 6. रणजीत पुत्र श्री बगाराम 7. हरिप्रसाद पुत्र श्री बगाराम 8. गणपत पुत्र श्री बगाराम समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी गण डेलुम्बा नाड़ा के पीछे झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 9. मीरादेवी पत्नी श्री सताराम जाति पटेल निवासी बालाजी स्कूल के पीछे झंवर डोली मार्ग गांव झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा दिनांक 04.06.2019 को राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2018 बअनवान ओमाराम व अन्य बनाम मंगलाराम व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री ललित कुमार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3– श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 से 8 की ओर से।
4– श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से।
5– श्री [illegible] सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 10 की ओर से।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री बगाराम 2. रणजीत पुत्र श्री बगाराम 3. हरिप्रसाद पुत्र श्री बगाराम 4. गणपत पुत्र श्री बगाराम समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीगण डेलुम्बा नाड़ा के पीछे झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. ओमाराम पुत्र श्री खंगारराम 2. चौथाराम पुत्र श्री खंगारराम 3. धन्नाराम पुत्र श्री खंगारराम 4. तीजादेवी पत्नी श्री खंगारराम के कायम मुकाम (प्रत्यर्थीगण 1 से 3 पुत्रगण के अलावा) 4/1 श्रीमति मथुरा पुत्री श्री खंगारराम पत्नी खीमानाम जाति–पटेल,निवासी पटेलावास झंवर तहसील लूणी, जोधपुर। 4/5 श्रीमति कमला पुत्री श्री खंगारराम पत्नी हडमानराम जाति –पटेल, निवासी बडला नगर झंवर तहसील लूणी जोधपुर 4/6 श्रीमति सुखी पुत्री खंगारराम पत्नी मोहनराम जाति –पटेल, निवासी थुम्बली की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 4/7 श्रीमति सीता पुत्री खंगारराम पत्नी नारायणराम जाति –पटेल, निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 5. मंगलाराम पुत्र श्री गोकलराम 6. वागाराम पुत्र श्री गोकलराम समस्त जातियान पटेल, निवासीगण डेलुम्बा नाडा के पीछे, झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7. मीरादेवी पत्नी श्री सताराम जाति पटेल निवासी बालाजी स्कूल के पीछे झंवर डोली मार्ग गांव झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा दिनांक 04.06.2019 को राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2018 बअनवान ओमाराम व अन्य बनाम मंगलाराम व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1– श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री ललित कुमार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3– श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 से 6 की ओर से।
4– श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।
5– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 8 की ओर से।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 19–12–2022

उपरोक्त दोनों अपीले उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट/रेस्पोडेन्टस की ओर से अलग–अलग पेश की गई है। जिसमें विषय वस्तु एक समान होने से इनका निर्णय संयुक्त रूप से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक

पत्रावली में संलग्न की जावें।

अपील संख्यां 108/2019 के अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 01 से 04 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1517 रकबा 33 बीघा 06 बिस्वा ग्राम झंवर, डेलुम्बा नाड़ा एरिया,तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आई हुई होने तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2070–73 की सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में भी दर्ज है। रेस्पोडेन्टस लगातर काबिज चले आ रहे है। अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 05 से 09 एक ही गांव के रहने वाले है तथा दोनों पक्षों की कृषि भूमि आस–पास ही स्थित है। इसी कारण अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 के द्वारा कुछ समय पूर्व रेस्पो0 सं0 01 से 04 की खातेदारी भूमि के अन्दर घुस माठ की सीमा को तोडते हुए अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया गया है तथा भोलेपन का फायदा उठाते हुए उनकी आधी से अधिक भूमि हडप ली है उक्त अतिक्रमण के संबध में रेस्पो0 सं0 01 से 04 ने ऐसा करने से रोका तो वे लडाई–झगडे पर उतारू हो गए, तब रेस्पो0 सं0 01 से 04 द्वारा अपने खर्चे से तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर के समक्ष ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए निर्धारित राशि जमा करवाकर अपनी सम्पूर्ण भूमि का सींमाकंन करवाया, जो सीमांकन सैटलमेन्ट नक्शे को आधार मानते हुए किया गया। जो रिपोर्ट फर्द पैमाईश दिनांक 28.06.2018 से स्पष्ट है। जिसमें यह पाया गया कि रेस्पो0 सं0 01 से 04 की भूमि लगभग आधी भूमि अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 के कब्जे में दबी हुयी है। उक्त सीमांकन रिपोर्ट कार्यवाही मौजीज लोगों की उपस्थित में पूर्ण की गयी तथा मौके पर वास्तविक स्थिति को अवगत कराया, उक्त सीमांकन कार्यवाही के आधार पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 को अपनी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया तो उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि को भूल जाने को कहा।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 08 ने अपना संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत कर अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 की खसरा सं0 1518 एवं 1520 वाली खेत खातेदारी वाली भूमि पर सेटलमेंट से ही कब्जा काश्त होना बताया तथा खातेदारी खेत में पीढियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा हमारे खातेदारी खेत में हमारी ढाणिया व पानी का टांका, पक्के मकान बने हुए है तथा अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 08 का मौके पर बंटवाडा हो चुका है और अपने–अपने हिस्सा काश्त करते आ रहे है। इस भूमि के बीचो–बीच रेस्पो0 संख्या 01 से 04 एवं अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 का रास्ता चल रहा है। तहसीलदार के द्वारा जो सीमांकन रिपोर्ट बनाई गयी जो स्पष्ट नहीं है, अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस सं0 05 से 09 जो 30 वर्ष पूर्व से अपनी भूमि पर काबिज काश्त करते आये है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं0 09 ने अपना अलग जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि

से काबिज है। रेस्पो0 संख्या 01 से 04 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है जो रिपोर्ट बनाई गयी है वह मिलावट करके अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 05 से 09 की अनुपस्थिति में बनाई गयी है। ऐसी अवस्था में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पा0 सं. 01 से 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस सं0 05 से 09 द्वारा पेश जवाब एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट (फर्द पैमाइश दिनांक 28.06.2018) एवं पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को एवं समग्र पत्रावली का अवलोकन कर रेस्पो0 संख्या 01 से 04 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2019 को परित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 01 ता 04 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से विवादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाने का अनुतोष भी चाहा गया हैं। जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम तक ही ग्राहय योग्य है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में इस प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। उक्त आदेश जो कि धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 को तैयार की गयी मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया। हल्का पटवारी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि के पैमाईश के नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। बिना किसी आधार के हल्का पटवारी द्वारा एकमात्र फर्द पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई एवं उक्त रिपोर्ट में रेस्पो0 संख्या 01 से 04 की भूमि पर अपीलांट सं 01 व 02 एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 द्वारा अतिक्रमण करना बताया गया है। उक्त रिपोर्ट में उक्त खेत खसरा सं0 1517 की पैमाईश करने के संबध में किस सीमा को आधार बनाकर पैमाईश की गयी है यह रिपोर्ट में अंकित नहीं किया। हल्का पटवारी द्वारा खेत खसरा सं0 1517,1518 व 1520 की पूर्णरूप से पैमाईश नहीं की गई है, न ही उक्त खेत के अन्दर जाकर पैमाईश की गयी है। ऐसी अवस्था में हल्का पटवारी द्वारा विधि विरूद्व मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 01 से 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में यह कहीं पर भी नहीं बताया है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 ने उक्त भूमि ख0सं0 1517 की माठ तोडकर कब अतिक्रमण कर प्रवेश किया एवं उसके संबंध में किसी राजस्व न्यायालय/पुलिस में रिपोर्ट प्रस्तुत की

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर पक्षकारान् के बीच मुकदमों की बहुल्यता को न्यौता देना है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं0 10 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उनकी ओर से कोई उपस्थिति भी दर्ज नहीं है। राज्य पक्षकार के जवाब को रेकर्ड को लिये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी अवस्था में बिना किसी आधार के तैयार पर मनमर्जी से कागजात में मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसकी कोई मान्यता नहीं है। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिविरूद्ध होने से काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2019 को अपास्त फरमाया जाने की कृपा करावें।

अपील संख्यां 107/2019 के अपीलान्टस के अधिवक्ता/रेस्पो0 संख्या 5 ता 8 के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है विधि के सुस्थापित सिद्धान्त अनुसार काबिज व्यक्ति/ अतिक्रमी व्यक्तियों को हटाने के लिये रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 को राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अधिन सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते हुए अपीलाधीन कार्यवाही की जानी चाहिये थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने काबिज व्यक्ति का कब्जा हटाने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त फर्द पैमाइश रिपोर्ट अनुसार दिनांक 28.6.18 में नवलाराम पुत्र मगाराम पटेल का कब्जा होना दर्शाया गया लेकिन उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील संख्या 107/2019 को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.6.2019 को निरस्त किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता/रेस्पो0 संख्या 5 ता 8 के अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उन आपत्तियों का निस्तारण किये बिना ही गुणावगुण पर आदेश नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त धारा 111 सपठित धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के पडौसी खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना होता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में ख0सं0 1517 के समस्त पडौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है ऐसे में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य था।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक ता चार के अधिवक्ता ने दोनों अपीलो के सम्बन्ध में यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 01 से 04 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1517 रकबा 33 बीघा 06 बिस्वा के ... में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का उपभोग व उपयोग निरन्तर व

निर्बाध रूप से करते आ रहे है। अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 एक ही गांव के रहने वाले है तथा दोनों पक्षों की भूमि आस–पास ही स्थित है। इसी कारण अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 द्वारा उनकी खातेदारी भूमि के अन्दर घुसते हुए माठ की सीमा को तोड अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया तथा मिलीभगत करते हुए रेस्पो0 सं0 01 से 04 की आधी से अधिक भूमि हडप अपनी भूमि में मिला ली जिस पर तहसीलदार लूणी के समक्ष आवेदन कर अपनी सम्पूर्ण भूमि का सींमाकंन करवाया, जो सीमांकन सैटलमेन्ट नक्शे को आधार मानते हुए किया गया। जिसमें यह पाया गया उनकी आधी भूमि अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 के कब्जे में दबी हुई बताई तथा अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 05 से 09 द्वारा जबरन रेस्पो0 सं0 01 से 04 की माठों को तोडते हुए अनाधिकृत रूप से रेस्पो0/प्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 1517 में प्रवेश कर लिया। वह स्पष्टतया अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, जो रिपोर्ट फर्द पैमाईश दिनांक 28.06.2018 से स्पष्ट है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पो0 सं0 05 से 09 की ओर से अपना प्रत्युतर पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 04 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 09 का यह भी कथन है कि खसरा सं0 1517 में प्रवेश नहीं किया गया है और ना ही अतिक्रमण किया है और यह रिपोर्ट भी मिलीभगत कर बनाई गयी है अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 05 से 09 की अनुपस्थिति में बनाई गयी है। अतः उनके प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 01 से 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 तथा पक्षकारान के जवाब के पश्चात प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश परित किया गया जो विधि अनुकूल होने से बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या एक ता चार के अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टस अपनी खातेदारी वाली कृषि भूमि की माठ की सुरक्षा करवाने के लिये सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है जिसके आधार पर ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त अपीलाधीन आदेश की कियान्विति होती है तो उनके खातेदारी में दर्ज खेत खसरान वाली भूमि का सही सही माप हो जायेगा एवं अपीलान्ट के हक–हिस्से में आई हुई उनकी अधिक हिस्सा भूमि वहॉ से कम होकर रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के कब्जे में आ जायेगी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें एवं अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलो को खारिज किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.6.2019 को यथावत बहाल रखा जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, पारित अपीलाधीन निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विवेचन व विश्लेषण के पश्चात यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द पैमाइश दिनांक 28.6.2018 के आधार पर पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया है। फर्द पैमाइश पड़ौसी हितबद्ध

काश्तकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई प्रतीत होती है। फर्द पैमाइश के अवलोकन से यह भी पाया कि पुख्ता बिन्दुओं से पैमाइश का विवरण तक फर्द में अंकित नहीं है। लिहाजा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की भावना के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार झंवर उभय पक्षकारान को सूचित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में टीम गठित की जाकर सेटलमेन्ट के पुख्ता बिन्दुओं से नियमानुसार पैमाइश/सीमांकन करें व तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर